बैठक • डीएम अभिलाषा शर्मा ने जिले में चल रही विकास की योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की

जिले में लंबित आवासों को जल्द पूरा कराने के लिए चलेगा विशेष अभियान

सिटीरिपोर्टर | औरंगाबाद

औरंगाबाद जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण, मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना एवं मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास सहायता योजना के क्रियान्वयन को लेकर जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। जिला पदाधिकारी अभिलाषा शर्मा ने बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों एवं ग्रामीण आवास पर्यवेक्षकों के साथ योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की और लंबित कार्यों को शीघ्र पूरा करने का निर्देश दिया।

समीक्षा के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के वित्तीय वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 की प्रगति का आकलन किया गया। बैठक में बताया गया कि औरंगाबाद जिले को कुल 25 हजार 652 आवासों का लक्ष्य प्राप्त हुआ है, जिसके विरुद्ध अब तक 25 हजार 523 परिवारों को स्वीकृति दी जा चुकी है। यह कुल लक्ष्य का 99.50 प्रतिशत है। हालांकि अब भी 129 आवासों की स्वीकृति लंबित पाई गई।

इस संबंध में अधिकारियों ने जानकारी दी कि 107 परिवारों के पास भूमि उपलब्ध नहीं होने के कारण आवास स्वीकृति नहीं दी जा सकी है। वहीं 10 मामलों में आधार से संबंधित त्रुटियां तथा 12 मामलों में अन्य तकनीकी कारणों से स्वीकृति लंबित है। इस पर जिला पदाधिकारी ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि एक सप्ताह के भीतर शत-प्रतिशत आवास स्वीकृति सुनिश्चित की जाए तथा सभी तकनीकी बाधाओं को प्राथमिकता के आधार पर दूर किया जाए।

जिले को कुल 25 हजार 652 आवासों का लक्ष्य मिला था

बैठक में समीक्षा करती डीएम

14 हजार में अब तक मात्र 866 शौचालयों का ही हुआ निर्माण

बैठक के दौरान ग्रामीण विकास विभाग अंतर्गत संचालित अन्य योजनाओं की भी समीक्षा की गई। स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) एवं लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत व्यक्तिगत शौचालय निर्माण की प्रगति पर चर्चा करते हुए बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में निर्धारित 14 हजार शौचालय निर्माण लक्ष्य के विरुद्ध अब तक मात्र 866 शौचालयों का निर्माण हो सका है। इस धीमी प्रगति पर जिला पदाधिकारी ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को पंचायत स्तर पर सघन अभियान चलाकर योग्य लाभुकों की पहचान करने तथा पोर्टल पर प्रविष्टि और जियोटैगिंग कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया। समीक्षा में यह भी सामने आया कि जिले के कई महादलित टोलों में अब भी शौचालय विहीन परिवार मौजूद हैं। जिला पदाधिकारी ने निर्देश दिया कि ऐसे परिवारों का दोबारा सत्यापन कराकर योग्य लाभुकों के लिए शीघ्र शौचालय निर्माण सुनिश्चित किया जाए।इसके अलावा प्रखंड स्तर पर विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई राशि को आगामी तीन दिनों के भीतर खर्च कर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश भी दिया गया। ग्राम पंचायतों के प्रमुख हाट-बाजारों में नियमित साफ-सफाई एवं कचरा उठाव की व्यवस्था सुनिश्चित करने तथा अक्रियाशील पैडल रिक्शा एवं ई-रिक्शा को अविलंब चालू कराने का भी निर्देश अधिकारियों को दिया गया। बैठक में उप विकास आयुक्त अनन्या सिंह, डीआरडीए निदेशक अनुपम कुमार, डीपीओ मनरेगा सहित अन्य जिला स्तरीय पदाधिकारी मौजूद रहे। वहीं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी एवं अन्य संबंधित अधिकारी भी जुड़े रहे।

24 784 परिवारों को दी गई है प्रथम किस्त की राशि

बैठक में किस्त भुगतान की स्थिति की भी समीक्षा की गई। जानकारी दी गई कि स्वीकृत परिवारों में 24 हजार 784 परिवारों को प्रथम किस्त, 23 हजार 61 परिवारों को द्वितीय किस्त तथा 17 हजार 396 परिवारों को तृतीय किस्त का भुगतान किया जा चुका है।

तृतीय किस्त प्राप्त करने वाले 14 हजार 440 परिवारों द्वारा आवास निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है, जबकि 2 हजार 956 परिवारों द्वारा अब तक आवास निर्माण पूरा नहीं किया गया है। इस पर जिला पदाधिकारी ने नाराजगी जाहिर करते हुए निर्देश दिया कि अपूर्ण आवासों को जल्द पूरा कराने के लिए विशेष अभियान चलाया जाए।

उन्होंने कहा कि संबंधित लाभुकों से लगातार संपर्क स्थापित कर निर्माण कार्य में तेजी लाई जाए, ताकि योजनाओं का लाभ समय पर पात्र परिवारों तक पहुंच सके। साथ ही मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना एवं मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास सहायता योजना के लंबित और अपूर्ण आवासों को भी प्राथमिकता के आधार पर पूरा कराने का निर्देश दिया गया।

भूमि विवाद में चले लाठी डंडे, 6 लोग हुए घायल

हसपुरा | हसपुरा थानाक्षेत्र के रघुनाथपुर गांव में भूमि विवाद को लेकर जमकर लाठी - डंडे चले जिसमें आधे दर्जन लोग घायल हो गए। जिसकी प्राथिमिकी हसपुरा थाना में दर्ज कर आरोपियों के तलाश में पुलिस छापेमारी कर रही है। जानकारी के मुताबिक दोनों पक्षों में जमीन को लेकर पहले गाली - गलौज हुई उसके बाद मामला मारपीट तक पहुंच गया। इस संबंध में रघुनाथपुर गांव निवासी सागर कुमार ने हसपुरा थाना में आवेदन दिया है की मंगलवार को भूमि विवाद को लेकर अशेश कुमार के साथ उनके परिजनों ने लाठी - डंडे व लोहे के सरिया से उनपर हमला कर दिया।जिसमें उनके परिवार के सदस्य दिनेश शर्मा, बिंदेश्वर मिस्त्री, नागेश्वर मिस्त्री गंभीर रूप से घायल हो गए।दो लोगों का हाथ टूट गया तथा सर में गंभीर चोट है।

कृषि विभाग के लिपिक का सोने का चेन छीना

औरंगाबाद| औरंगाबाद शहर में अपराधियों के हौसले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। गुरुवार को दिनदहाड़े बाइक सवार उचक्कों ने कृषि विभाग में कार्यरत एक महिला लिपिक के गले से सोने की चेन झपट ली और मौके से फरार हो गए। । पीड़िता ने नगर थाना में आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।पीड़िता की पहचान माधुरी कुमारी के रूप में हुई है, जो शहर के बाईपास क्षेत्र की रहने वाली हैं। वह कृषि विभाग में लिपिक के पद पर कार्यरत हैं। जानकारी के अनुसार, गुरुवार सुबह वह प्रतिदिन की तरह अपने कार्यालय जा रही थीं।

न्यूज ब्रीफ

50 हजार नगदी सहित लाखों के जेवरात की चोरी

गोह| गोह प्रखंड मुख्यालय के न्यू एरिया में बीते रात चोरों ने एक मकान को निशाना बनाते हुए 50 हजार नगद सहित दो लाख रुपए के जेवरात चुरा लिया। घटना के बारे में बताया जाता है कि चोरों ने घर के पीछले हिस्से से छत के सहारे प्रवेश कर घटना को अंजाम दिया है। बताया जाता है कि गोह निवासी छन्नू साव के परिजन खाना-पीना करके अपने-अपने कमरों में सो रहे थे। घर में महिलाएं थी जबकि पुरुष वर्ग कही मांगलिक कार्यो में शामिल होने रिश्तेदार के घर गए हुए थे। इसी का फायदा उठाकर अज्ञात चोरों ने घर में प्रवेश किया और गोदरेज खोलकर जेवरात व नकदी की चोरी कर ली। सुबह जब चोरी की घटना की जानकारी हुई तो परिजनों ने स्थानीय थाना को सूचना दी। घटनास्थल पर पहुंचे पुलिस ने मामले की जांच-पड़ताल किया।

दाउदनगर के पास स्थित सुधा स्टॉल में चोरी

सिटी रिपोर्टर|दाउदनगर दाउदनगर प्रखंड कार्यालय के समीप एसडीओ आवास के बगल में स्थित एक सुधा स्टॉल में मंगलवार की रात अज्ञात चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। मामले को लेकर पीड़ित दुकानदार नागेश्वर सिंह ने दाउदनगर थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई है।दुकानदार के अनुसार, चोरों ने दुकान का ताला तोड़कर गल्ले में रखे 7,700 रुपये नकद चोरी कर लिए। इसके अलावा फ्रिज में रखे दूध, दही, पनीर, घी, लस्सी एवं कोल्ड ड्रिंक्स सहित हजारों रुपये मूल्य के डेयरी उत्पाद भी चोरी कर लिए गए।बताया जाता है कि उक्त दुकान बिहार सरकार की सात निश्चय योजना के अंतर्गत संचालित की जा रही थी। चोरी की इस घटना में दुकानदार को करीब 80 हजार रुपये का नुकसान होने का अनुमान है।

आवेदन प्राप्त कर करें ससमय निष्पादन : बीडीओ

दाउदनगर| 19 मई को दाउदनगर प्रखंड के तरारी पंचायत में आयोजित होने वाले सहयोग शिविर की सफलता को लेकर प्रखंड कार्यालय सभागार में बीडीओ मो. जफर इमाम ने प्रतिनियुक्त कर्मियों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान अब तक की तैयारियों की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।बैठक में 22 बिंदुओं पर विस्तार से समीक्षा की गई। आम लोगों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराने तथा उनकी समस्याओं के समाधान को लेकर आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित करने पर बल दिया गया।बीडीओ ने कर्मियों को निर्देश देते हुए कहा कि वे गांव-गांव जाकर आम जनता से संपर्क करें तथा सरकारी योजनाओं एवं समस्याओं से संबंधित आवेदन प्राप्त कर उसका ससमय निष्पादन सुनिश्चित करें।

मदनपुर स्वास्थ्य केंद्र में एक्स-रे, अल्ट्रासाउंड की मांग

मदनपुर सदर| सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मदनपुर में एक्स-रे, अल्ट्रासाउंड एवं सिटी स्कैन की सुविधा मरीजों को उपलब्ध नहीं है। मदनपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मरीजों की भीड़ प्रति दिन लगी रहती है। ये मांग कांग्रेस कमेटी के पूर्व प्रखंड अध्यक्ष संजीव कुमार सिंह ने प्रेस विज्ञप्ति जारी की है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 19 पर अवस्थित रहने के कारण आए दिन सड़क दुर्घटना में घायल मरीज यहां उपचार हेतु आते हैं। मदनपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक्स-रे मशीन जो पूर्व से लगा हुआ था वह एक्स-रे प्लेट के अभाव में लगभग तीन माह से बंद है। ग्रामीण क्षेत्र में यह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रहने के कारण गरीब एवं मध्यम वर्ग के ही मरीज अक्सर यहां उपचार हेतु आते हैं जो बाहर से महंगे दर पर जांच करवाने में सक्षम नहीं है । सरकार एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का ध्यान सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मदनपुर के मूलभूत समस्याओं के प्रति आकृष्ट नहीं हो सकी है। एक्स-रे, अल्ट्रासाउंड एवं सिटी स्कैन की सुविधा उपलब्ध नहीं रहने के कारण मरीजों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

चार महीने से वेतन नहीं मिलने पर भड़के एंबुलेंस कर्मी

औरंगाबाद| औरंगाबाद जिले में स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत संचालित 102 एंबुलेंस सेवा से जुड़े चालक एवं इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन पिछले चार माह से वेतन नहीं मिलने के कारण आक्रोशित हैं। नाराज कर्मियों ने बकाया भुगतान नहीं होने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी है। इस संबंध में उन्होंने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर अपनी समस्याओं से अवगत कराया। ज्ञापन की प्रतिलिपि श्रम अधीक्षक, सिविल सर्जन, अस्पताल उपाधीक्षक तथा बिहार राज्य चिकित्सा कर्मचारी संघ इंटक के प्रांतीय अध्यक्ष सह राष्ट्रीय उपाध्यक्ष को भी भेजी गई है।

गुरुवार को सदर अस्पताल परिसर में बिहार राज्य चिकित्सा कर्मचारी संघ इंटक के बैनर तले आयोजित बैठक में एंबुलेंसकर्मियों ने अपनी समस्याओं को प्रमुखता से उठाया। संघ के जिला अध्यक्ष संतोष कुमार टाइगर ने बताया कि जिले में करीब 100 चालक और 100 इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन 102 एंबुलेंस सेवा में कार्यरत हैं। इसके अलावा शव वाहन चालक एवं सहयोगी भी इसी व्यवस्था से जुड़े हुए हैं।

9 मई की लोक अदालत में सुलझेंगे सुलहनीय वाद

दाउदनगर | दाउदनगर अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय में आगामी 09 मई को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारी तेज कर दी गई है। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, औरंगाबाद के निर्देशानुसार सुलहनीय वादों के निष्पादन के लिए न्यायालय परिसर में तीन विशेष बेंचों का गठन किया गया है। इन बेंचों के माध्यम से विभिन्न प्रकार के लंबित मामलों का आपसी समझौते के आधार पर त्वरित निस्तारण किया जाएगा।राष्ट्रीय लोक अदालत में दाउदनगर अनुमंडल क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विभिन्न बैंकों से संबंधित मामलों का भी निष्पादन किया जाएगा। इसे लेकर अनुमंडलीय न्यायिक दंडाधिकारी विकास कुमार की अध्यक्षता में न्यायालय परिसर में सभी बैंक पदाधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में बैंक ऋण वसूली, समझौता योग्य विवादों एवं लंबित मामलों के अधिकाधिक निष्पादन को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक के दौरान अनुमंडलीय न्यायिक दंडाधिकारी ने सभी बैंक प्रतिनिधियों को निर्देश देते हुए कहा कि वे अधिक से अधिक मामलों को लोक अदालत के माध्यम से सुलझाने की दिशा में पहल करें।

लंबित मामलों का शीघ्र करें निष्पादन : एसपी

सिटीरिपोर्टर | दाउदनगर

बिहार पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर औरंगाबाद एसपी अंबरीश राहुल ने दाउदनगर अंचल अंतर्गत सभी थानों में लंबित कांडों की व्यापक समीक्षा की। यह समीक्षा बैठक दाउदनगर थाना परिसर में आयोजित की गई, जो बुधवार देर रात तक चली। एसपी ने लंबित मामलों का शीघ्र निष्पादन करने का निर्देश दिया।बैठक में लंबित मामलों के शीघ्र निष्पादन, अनुसंधान में तेजी लाने तथा कानून-व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने को लेकर संबंधित पुलिस अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए। समीक्षा के दौरान कांडों के निष्पादन की प्रगति, अनुसंधान की स्थिति तथा अपराध नियंत्रण के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई।जानकारी के अनुसार, दाउदनगर थाना का निरीक्षण करने के उपरांत एसपी अंबरीश राहुल ने थाना को विशेष निगरानी के तहत घोद लिया है, ताकि यहां की पुलिसिंग व्यवस्था को और अधिक प्रभावी एवं जवाबदेह बनाया जा सके। इस पहल का उद्देश्य आम जनता को बेहतर सुरक्षा प्रदान करना, पुलिस कार्यप्रणाली में पारदर्शिता लाना तथा अपराध नियंत्रण को और मजबूत करना है।

बिहार में विकास को मिलेगी नई गति : पूर्व सांसद

औरंगाबाद| बिहार सरकार के एनडीए मंत्रिमंडल विस्तार समारोह को लेकर भाजपा नेताओं एवं कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है। पटना के गांधी मैदान में आयोजित भव्य शपथ ग्रहण समारोह में नवनियुक्त मंत्रियों को भाजपा के पूर्व सांसद सुशील कुमार सिंह ने हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं।पूर्व सांसद सुशील कुमार सिंह ने कहा कि पीएम और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में एनडीए सरकार बिहार में विकास, सुशासन और जनकल्याण के नए आयाम स्थापित करेगी। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर आम जनता में जबरदस्त उत्साह है, जो एनडीए सरकार की लोकप्रियता और नेतृत्व पर लोगों के विश्वास को दर्शाता है।

महदीपुर बाजार में मुख्य सड़क पर बह रहा गंदा पानी

सिटीरिपोर्टर | गोह

गोह प्रखंड के महदीपुर वार्ड नम्बर 12 में नाली निर्माण नहीं होने से मुख्य सड़क की स्थिति नारकीय बनी हुई है। इस सड़क से गुजरने वाले सभी लोगों को नाली के गंदे पानी से होकर गुजरना पड़ता है। कई बार बाइक सवार नाली के कीचड़ में फंसकर गिर पड़ते हैं। इस सड़क महदीपुर बाजार जाने वाले का मुख्य सड़क है जिसपर वाहनों का आवागमन काफी अधिक होता है।

उक्त टोला में स्थिति पूरी तरह नारकीय बन चुकी है। लोगों को दिन-रात नाली के बीच में रहना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि नेता लोग सिर्फ वोट के लिए आते हैं। हमारी समस्या से उन लोगों का कोई मतलब नहीं है।

नाली बनाने की मांग करते ग्रामीण

विकास के नाम पर लाखों रुपए खर्च होते हैं लेकिन आज तक नाली का निर्माण नहीं हो पाया है। गुरुवार को ग्रामीण दीपू कुमार गुप्ता, लीला देवी, मंजू देवी, रंजू देवी, सुगी देवी, सुनैना देवी, मुकेश चौधरी, राजू साव, मुन्ना शर्मा, खुबबू कुमारी, नेपाली ठाकुर , बुद्धदेव विश्वकर्मा, रंजीत कुमार सहित दर्जनों लोगों ने जल्द ही नाली निर्माण की मांग की है। इस मामले में जब बीडीओ डॉ राजेश कुमार दिनकर से दूरभाष पर बात की गई तो उन्होंने कोई संतोषजनक जवाब देने से इंकार कर दिया। ऐसे में अब न तो जनप्रतिनिधी आ रहा है ना ही प्रशासन दिलचस्पी दिखा रहे हैं। ग्रामीण न तो घर के हैं ना ही घाट के। अब विकास की जिम्मा भगवान भरोसे आश्रित।

जाम की समस्या से मिलेगी राहत, डीपीआर तैयार कर विभाग को भेजने की तैयारी चल रही है

झारखंड बॉर्डर तक बनेगा 30 किमी लंबा बाईपास

सिटीरिपोर्टर | औरंगाबाद

औरंगाबा जिले में लगातार बढ़ती यातायात समस्या और रोजाना लगने वाले भीषण जाम से परेशान लोगों को जल्द बड़ी राहत मिल सकती है। राष्ट्रीय राजमार्ग-139 पर औरंगाबाद शहर के ओवरब्रिज, अंबा बाजार और आसपास के इलाकों में लगने वाले जाम को खत्म करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने नए बाईपास निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। प्रस्तावित बाईपास औरंगाबाद के खैरी मोड़ से पोला तक बनाया जाएगा, जिसकी लंबाई लगभग 30 किलोमीटर होगी। पूर्व सांसद सुशील कुमार सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि एनएच-139 को जामगुवत बनाने के उद्देश्य से इस महत्वाकांक्षी परियोजना पर काम शुरू किया गया है। इसके लिए विस्तृत

परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तैयार कर विभाग को भेजने की तैयारी चल रही है। उन्होंने कहा कि लंबे समय से औरंगाबाद शहर तथा अंबा बाजार में जाम की समस्या विकराल रूप ले चुकी है, जिससे आम लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

बाईपास बनने से न केवल यातायात व्यवस्था बेहतर होगी

उन्होंने कहा कि बाईपास बनने से न केवल यातायात व्यवस्था बेहतर होगी, बल्कि यात्रा का समय भी कम होगा। साथ ही सड़क दुर्घटनाओं में कमी आएगी और क्षेत्र के व्यापार, परिवहन एवं आर्थिक विकास को नई गति मिलेगी। बताते चलें कि एनएच-139 पटना से अरवल, दाउदनगर और औरंगाबाद होते हुए बिहार-झारखंड बॉर्डर तक जाती है। यह सड़क डाल्टनगंज के रास्ते रांची के अलावा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश को भी जोड़ती है।

औरंगाबाद से पोला तक बड़े बाईपास निर्माण पर सहमति बन चुकी है : पूर्व सांसद ने कहा कि अब औरंगाबाद से पोला तक बड़े बाईपास निर्माण पर सहमति बन चुकी है। इससे शहर और बाजार क्षेत्रों में लगने वाले भारी जाम से लोगों को काफी राहत मिलेगी। औरंगाबाद ओवरब्रिज, अंबा चौक और एनएच-139 के कई हिस्सों में प्रतिदिन लंबा जाम लगना आम बात हो गई है। स्थिति ऐसी रहती है कि आम नागरिकों के साथ-साथ एंबुलेंस, स्कूली वाहन, अधिकारी और आवश्यक सेवाओं से जुड़े वाहन भी घंटों जाम में फंसे रहते हैं। इसका सबसे अधिक असर मरीजों, स्कूली बच्चों, नौकरीपेशा लोगों और दूर-दराज से आने-जाने वाले यात्रियों पर पड़ता है। कई बार गंभीर मरीजों को समय पर अस्पताल नहीं पहुंच पाने से स्थिति और गंभीर हो जाती है। सुशील कुमार सिंह ने कहा कि पहले सरकार का अधिक ध्यान सासाराम और आमस-गया सड़क परियोजनाओं पर था, जबकि एनएच-139 के विकास को लेकर कोई स्पष्ट योजना नहीं थी।

अधिकारियों की लापरवाही से एनएच-139 को फोरलेन बनाने में देरी : उन्होंने बताया कि पूर्व में विभागीय अधिकारियों की लापरवाही के कारण एनएच-139 को फोरलेन बनाने की योजना में काफी देरी हुई।

बस स्टैंड से ही चलेंगी सभी बसें, सड़क किनारे ठहराव पर रोक

सिटीरिपोर्टर | औरंगाबाद

औरंगाबाद शहर के रामबांध बस स्टैंड का गुरुवार को जिला पदाधिकारी औरंगाबाद एवं पुलिस अधीक्षक ने संयुक्त रूप से निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान बस स्टैंड की व्यवस्था, साफ-सफाई, यातायात प्रबंधन तथा जाम की समस्या को लेकर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। निरीक्षण के क्रम में जिला पदाधिकारी ने बस स्टैंड परिसर की साफ-सफाई, रंग-रोगन एवं समुचित रख-रखाव सुनिश्चित करने का निर्देश नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी को दिया। साथ ही पुराने एवं अनुपयोगी वाहनों के निबंधन निरस्तीकरण की प्रक्रिया में तेजी लाने का भी निर्देश दिया गया।

निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने यह भी स्पष्ट निर्देश दिया कि सभी बसों का परिचालन बस स्टैंड परिसर से ही सुनिश्चित किया जाए। सड़क किनारे बस खड़ी कर यात्रियों को बैठाने की प्रवृत्ति पर रोक लगाने पर जोर दिया गया, ताकि शहर में लगने वाले जाम की समस्या से राहत मिल सके।

पंजाब नैशनल बैंक punjab national bank ...मोदी का प्रतीक ! ...the name you can BANK upon !

सम्पत्ति वसूली प्रबंधन शाखा
ओल्ड जीटी रोड, औरंगाबाद, बिहार-824101

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 9(1) के प्रावधान के साथ पठित वित्तीय सम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अचल सम्पत्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना

एतद्द्वारा सामान्य रूप से जनता को और विशेष रूप से उपधारकों (ओं) और गारंटर (ओं) को नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति सुरक्षित लेनदार के पास गिरवी / चार्ज की गई है, जिसका रचनात्मक/भौतिक/वास्तविक कब्जा उसके द्वारा ले लिया गया है। बैंक के प्राधिकृत अधिकारी/सुरक्षित ऋणदाता को अपने कब्जाए की वसूली के लिए नीचे दी गई तारीख में ऑनलाइन लिंक पर 'जैसा है जहां है', 'जैसा है जो है' और 'जो कुछ भी है' पर बेचा जाएगा। संबंधित उपधारकों (ओं) और गारंटर (गारंटरों) से सुरक्षित लेनदार, आरक्षित मूल्य और बयाना राशि जमा नीचे दी गई तालिका में सम्बंधित सम्पत्तियों के अनुसार होगी।

परिशिष्ट- IV-A [नियम 9 (1) का प्रावधान देखें] (सुरक्षित परिसंपत्तियों की अनुसूची)

लॉट न.	शाखा का नाम / खाते का नाम / उधारकर्ता/गारंटर के खाते का नाम एवं पता	गिरवी रखी गई अचल संपत्तियों का विवरण/मालिक का नाम (संपत्ति को गिरवी रखने वाले)	(क) सरफेसी अधिनियम 2002 की धारा 13 (2) के तहत मांग सूचना की तिथि (ख) मांग सूचना के अनुसार बकाया राशि (ग) सरफेसी अधिनियम 2002 की धारा 13(4) के तहत कब्जा की तिथि (घ) कब्जे की प्रकृति	(क) आरक्षित मूल्य (लाख रुपये में) (ख) ईएमडी (ग) बोली वृद्धि राशि	ई-नीलामी की तिथि/समय	सुरक्षित लेनदारों को ज्ञात ऋणधारों का विवरण
1	पीएनबी- एम.जी. रोड औरंगाबाद (050200) मेसर्स राज लक्ष्मी एग्रो बिजनेस सेंटर, प्रोपराइटर- श्री सुनील कुमार सिंह श्री सुनील कुमार सिंह पिता श्री भानु प्रताप सिंह श्रीमती सिनिता सिंह पति सुनील कुमार सिंह निवासी-बिरोनी, पोस्ट-कपसया, जिला-औरंगाबाद, बिहार-824103 यहीं भी-करमा रोड, जय प्रकाश नगर, वार्ड संख्या 02, पोस्ट एवं थाना- औरंगाबाद, जिला-औरंगाबाद, बिहार-824101 खाता संख्या-0502008700004529, 0502001B30000272	भूमि एवं भवन स्थित: मौजा- करमा भगवान, थाना संख्या- 268, थाना- औरंगाबाद, जिला- औरंगाबाद, तौजी संख्या- 8635, खाता संख्या- 110, प्लॉट संख्या- 851, क्षेत्रफल- 21.375 डिसमिल एवं खाता संख्या- 125, प्लॉट संख्या- 1055, क्षेत्रफल- 24.625 डिसमिल (कुल क्षेत्रफल- 46) डेसिमल) विक्रय विलेख क्रमांक-8423 दिनांक 16.06.2015,श्रीमती सुनीता सिंह पति श्री सुनील कुमार सिंह के नाम पर। चौहद्दी:उत्तर-निज रास्ता, सुनील कुमार सिंह, दक्षिण-सत्येंद्र यादव, पूर्व-बिगन यादव, पश्चिम- सत्येन्द्र यादव, अम्बिला यादव, निज रास्ता एवं सुनील कुमार सिंह	क) 17.05.2018 ख) रु.1,01,43,500 + अतिरिक्त ब्याज ग) 11.09.2018 घ) प्रतीकात्मक	क) रु. 89,81,000/- ख) रु. 8,98,100/- ग) रु. 50,000/-	दिनांक 26.05.2026 को दोपहर 12:00 बजे से शाम 04:00 बजे तक	ज्ञात नहीं

नियम एवं शर्तें : बिक्री सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम 2002 में निर्धारित नियमों एवं शर्तों और निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी:
1. संपत्तियों को 'जैसा है जहां है के आधार पर' और 'जैसा है जो है के आधार पर' बेचा जा रहा है। 2. यहां ऊपर अनुसूची में निर्दिष्ट सुरक्षित संपत्तियों का विवरण प्राधिकृत अधिकारी की सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार बताया गया है, लेकिन प्राधिकृत अधिकारी इस उद्घोषणा में किसी भी त्रुटि, गलत विवरण या चूक के लिए जवाबदेह नहीं होगा। 3. बिक्री अभोहतारापत्री द्वारा वेबसाइट https://baanknet.com पर उपलब्ध ई-नीलामी प्लेटफॉर्म के माध्यम से 26.05.2026 को दोपहर 12.00 बजे से शाम 04.00 बजे तक की जाएगी। 4. बिक्री के विस्तृत नियम और शर्तों के लिए, कृपया https://baanknet.com और www.pnbindia.in देखें। 5. प्राधिकृत अधिकारी को किसी भी बोली को स्वीकार करने या सभी बोलियों को अस्वीकार करने, यदि स्वीकार्य न हो, या किसी भी समय बिना कोई कारण बताए नीलामी की शर्तों को स्थगित/रद्द/समाप्त/बंद करने या बदलने का अधिकार सुरक्षित है एवं इस संबंध में उसका निर्णय अंतिम होगा।

सरफेसी अधिनियम, 2002 के नियम 9 (1) के तहत वैधानिक बिक्री सूचना विचार की स्थिति में अंग्रेजी पाठ मान्य होगा प्राधिकृत अधिकारी

पंजाब नैशनल बैंक punjab national bank ...मोदी का प्रतीक ! ...the name you can BANK upon !

सम्पत्ति वसूली प्रबंधन शाखा
ओल्ड जीटी रोड, औरंगाबाद, बिहार-824101

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 9(1) के प्रावधान के साथ पठित वित्तीय सम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अचल सम्पत्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना

एतद्द्वारा सामान्य रूप से जनता को और विशेष रूप से उपधारकों (ओं) और गारंटर (ओं) को नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति सुरक्षित लेनदार के पास गिरवी / चार्ज की गई है, जिसका रचनात्मक/भौतिक/वास्तविक कब्जा उसके द्वारा ले लिया गया है। बैंक के प्राधिकृत अधिकारी/सुरक्षित ऋणदाता को अपने कब्जाए की वसूली के लिए नीचे दी गई तारीख में ऑनलाइन लिंक पर 'जैसा है जहां है', 'जैसा है जो है' और 'जो कुछ भी है' पर बेचा जाएगा। संबंधित उपधारकों (ओं) और गारंटर (गारंटरों) से सुरक्षित लेनदार, आरक्षित मूल्य और बयाना राशि जमा नीचे दी गई तालिका में सम्बंधित सम्पत्तियों के अनुसार होगी।

परिशिष्ट- IV-A [नियम 9 (1) का प्रावधान देखें] (सुरक्षित परिसंपत्तियों की अनुसूची)

लॉट न.	शाखा का नाम / खाते का नाम / उधारकर्ता/गारंटर के खाते का नाम एवं पता	गिरवी रखी गई अचल संपत्तियों का विवरण/मालिक का नाम (संपत्ति को गिरवी रखने वाले)	(क) सरफेसी अधिनियम 2002 की धारा 13 (2) के तहत मांग सूचना की तिथि (ख) मांग सूचना के अनुसार बकाया राशि (ग) सरफेसी अधिनियम 2002 की धारा 13(4) के तहत कब्जा की तिथि (घ) कब्जे की प्रकृति	(क) आरक्षित मूल्य (लाख रुपये में) (ख) ईएमडी (ग) बोली वृद्धि राशि	ई-नीलामी की तिथि/समय	सुरक्षित लेनदारों को ज्ञात ऋणधारों का विवरण
1	1) अचल संपत्ति स्थित: मौजा – गंगटी, वार्ड संख्या – 31, थाना संख्या – 568, थाना – औरंगाबाद, जिला: औरंगाबाद, खाता संख्या 10, प्लॉट संख्या – 416, क्षेत्रफल – 4.75 डेसिमल, आर एम डीड संख्या 12577 दिनांक 20.09.2014, श्री विश्वनाथ सिंह पिता स्वर्गीय तीर्थ देव सिंह के नाम पर पंजीकृत। चौहद्दी: उत्तर- छोटी माहतो, दक्षिण- लक्ष्मण सिंह, पूर्व- नगीना सिंह, पश्चिम- निज मोकिर भूमि एवं भवन स्थित: मौजा – गंगटी, वार्ड संख्या – 31, थाना संख्या – 568, थाना – औरंगाबाद, जिला: औरंगाबाद, खाता संख्या 10, प्लॉट संख्या – 416, क्षेत्रफल – 1.50 डेसिमल, आरएम डीड संख्या–12577 दिनांक 20.09.2014 श्री विश्वनाथ सिंह पिता स्वर्गीय तीर्थ देव सिंह के नाम पर। चौहद्दी:उत्तर- साहदेव यादव, दक्षिण- नगीना सिंह, पूर्व- उपेन्द्र, पश्चिम- छावर	क) 01.10.2021 ख) रू.1,91,56,680.59 + अतिरिक्त ब्याज ग) 07.10.2021 घ) सांकेतिक	क) रू.1,07,32,500/- ख) रू.10,73,250/- ग) रू.50,000/-	दिनांक 26.05.2026 को दोपहर 12:00 बजे से शाम 04:00 बजे तक	ज्ञ